न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 462/17 (RCMS No. 2017/00492) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रघुनाथी पत्नि नवल सिंह | जाति गुर्जर निवासी बीनारायण गेट भरतपुर
2. लीलावती पत्नि अर्जुन |
3. गोपाल सिंह पु0 अर्जुन |
4. गजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन |
5. कल्ला सिंह पुत्र अर्जुन | नावालिगान जरिये माता लीलावती पत्नि अर्जुन जाति गुर्जर
6. सुनीता पुत्री अर्जुन | निवासी बीनारायण गेट भरतपुर
7. लोकेन्द्र उर्फ नकुल |
8. सहदेव | पुत्रान नवल सिंह जाति गुर्जर निवासी बीनारायण गेट भरतपुर
9. युधिष्ठर |
10. नन्दादेवी |
11. माया | पुत्रियान नवल सिंह
12. सुमन |
13. विजय देवी पत्नि भीम सिंह | जाति गुर्जर निवासी बीनारायण गेट भरतपुर
14. कुलदीप पुत्र भीमसिंह |
15. गुडिया पुत्री भीमसिंह |
16. सन्जू पुत्री भीमसिंह |
17. योगेश पुत्र भीम सिंह | नावालिगान जरिये माता विजय देवी पत्नि भीमसिंह
18. बसन्ती पुत्री भीम सिंह | जाति गुर्जर निवासी बीनारायण गेट भरतपुर
19. दीपा पुत्री भीम सिंह |

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर
2. नगर सुधार न्यास भरतपुर तामील जरिये सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार भरतपुर नामा0 सं0 599 दिनांक 08.04.2008 आराजी ख0 नं0 843 वॉके कस्वा भरतपुर चक नं0 1

उपस्थितिः—

1. श्री राधे लाल शर्मा वकील अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. श्री उदयवीर कसाना वकील रैस्पो0 सं0 2

नि र्ण य **दिनांकः—20.04.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तरकरण सं0 599 पर पारित आदेश दिनांक 08.04.2008 बाबत् ख0 नं0 843 वॉके कस्वा भरतपुर चक नं0 1 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नगर सुधार न्यास भरतपुर के आदेश क्रमांक 1528 दिनांक 15.03.2008 एवं तहसील आदेश क्रमांक 805 दिनांक 19.03.2008 से विवादित आराजी ख0 नं0 843 वॉके कस्वा भरतपुर चक नं0 1 एवं अन्य खसरा नम्बरान को नगर सुधार न्यास भरतपुर के नाम नामान्तरकरण सं0 599 दर्ज करने के आदेश दिनांक 08.04.2008 को पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पति/पिता एवं बाबा/ससुर के स्वंय की मिलकियती व आधिपत्य की खातेदारी काश्त की भूमि साबिक ख0 नं0 742 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा कस्वा भरतपुर चक नं0 1 भूरी सिंह की बगीची के पास भरतपुर में स्थित है जिसका हाल ख0 नं0 843 रकवा 30 एयर बना है। स्व0 नवल सिंह की मृत्यु के बाद आराजी विरासतन अपीलान्ट को प्राप्त हो गयी। जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम दर्ज हो गया। अपीलान्ट के नाम हटने व नगर सुधार न्यास का नाम दर्ज होने पर अपीलान्ट ने तहसीलदार व नगर सुधार न्यास से सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। नगर सुधार न्यास ने अपीलान्ट को लिखकर दिया कि तहसीलदार भरतपुर से जानकारी प्राप्त करें। तहसीलदार भरतपुर ने जानकारी दी कि नगर सुधार न्यास के पत्र 1558 दिनांक 15.03.08 से अवाप्त की गई भूमि की लिस्ट भेजी थी जिसमें सा0 ख0 नं0 742 का इन्द्राज हो रहा था परन्तु रैस्पो0 सं0 2 नगर सुधार न्यास ने यह लिख कर दिया है कि हमने तो ख0 नं0 750 हाल ख0 नं0 855 की बाबत् अमल दरामद हेतु लिखा था परन्तु साविक ख0नं0 742 हाल ख0 नं0 843 की बाबत् राजस्व रिकार्ड से संबंधित हाल तहसीलदार भरतपुर से जानकारी करें कि गत ख0 नं0 742 हाल ख0 नं0 843 का इन्द्राज नगर सुधार न्यास के नाम कैसे दर्ज हो गया। इससे स्पष्ट है कि विवादित ख0 नं0 843 अपीलान्ट के खातेदारी का है तथा रैस्पो0 ने गलत इन्द्राज कर दिया है। जबकि ख0 नं0 843 को नगर सुधार न्यास भरतपुर के नाम अंकन करने का कोई अदालती आदेश नही है। तहसीलदार के लिये ख0नं0 855 लिखा था न कि 843 लिखा था। इस प्रकार तहसीलदार का नामा0सं0 599 दिनांक 08.04.2008 कानून विरूद्ध है। अपीलान्ट या उनके पूर्वजों ने कभी मुआवजा किसी विभाग से नही लिया है, न ही भूमि अवाप्त की गई है। अपीलान्ट ने जानकारी की दिनांक से अपील पेश की है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त किया जावे।

विद्धान वकील रैस्पो0 ने लिखित बहस में अंकित किया है कि विवादित आराजी ख0 नं0 843 रकवा 30 एयर चक नं0 1 कस्वा भरतपुर में स्थित है जोकि नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित की गई कालोनी स्वर्ण जयन्ती नगर भरतपुर में है। उक्त कालोनी में सभी जगह वसावट हो चुकी है।

Web Copy - Not Official

हाल ख0 नं0 843 का मध्यवर्ती नम्बर 4416 मिन है साबिक ख0 नं0 742 है । उक्त भूमि नगर सुधार न्यास योजना स्वर्ण जयन्ती नगर का भाग है। रोड़ निकली हुई है। मुआवजा राशि खातेदारों को दी जा चुकी हैं अवार्ड रजिस्टर के क्रमांक 08 के अंकन के अनुसार मध्यवर्ती ख0 नं0 4416 रकवा 1.45 हैक्टेयर की मुआवजा राशि श्रीमती कमला धर्मपत्नि मोहन लाल जाति वैश्य को द्वारा प्राप्त की गई है। अपीलान्ट ने गलीत तथ्यों पर अपील पेश की है। अतः खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 742 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा वांके कस्वा भरतपुर चक नं0 1 के अपीलान्ट खातेदार काश्तकार थे। जिसका हाल ख0 नं0 843 रकवा 30 एयर बना है। उक्त आराजी नगर सुधार न्यास द्वारा जवाहर नगर/ स्वर्ण जयती नगर योजना के लिये अवाप्त की गई थी। नगर सुधार न्यास ने पत्र 1558 दिनांक 15.03.08 से अवाप्त की गई भूमि की लिस्ट भेजी थी जिसमें साबिक ख0 नं0 742 का इन्द्राज हो रहा था। जैसाकि रैस्पो0 अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया है। उक्त आराजी ख0 नं0 843 रकवा 30 एयर चक नं0 1 कस्वा भरतपुर नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित की गई कालोनी स्वर्ण जयन्ती नगर भरतपुर में है। साबिक ख0 नं0 742 का मध्यवर्ती नम्बर 4416 मिन है तथा हाल ख0 नं0 843 रकवा 30 एयर है। रैस्पो0 का कथन है कि उक्त आराजी पूर्व में ही नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज हो चुकी है। नगर सुधार न्यास ने उक्त आराजी पर स्वर्ण जयन्ती योजना विकसित हो चुकी है। अपीलान्ट का इस आराजी से कोई लेना–देना नही है। पत्रावली में उपलब्ध नगर सुधार न्यास भरतपुर के पत्र 1528 दिनांक 15.03.08 जो तहसीलदार भरतपुर के लिखा है, का अवलोकन किया। उक्त पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार ने दिनांक 13.08.96 को कब्जा न्यास को संभलाया गया था। उक्त कब्जे की रिपोर्ट में ख0 नं0 742 भी बताया है जिसका कब्जा नगर सुधार न्यास को दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है। तहसीलदार भरतपुर ने अवाप्त भूमि का ही नामान्तरकरण दर्ज किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। यदि विवादित आराजी के खातेदार को मुआवजा नही मिला हो तो इस संबंध में न्यास में अलग से चाराजोही कर सकते हैं। इस न्यायालय द्वारा उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है। अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 599 पर पारित आदेश दिनांक 08.04.2008 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official